

राजस्थान सरकार  
मंत्रिमण्डल सचिवालय

क्रमांक: प. 5(1)मं.मं./2019

जयपुर, दिनांक १२/०५/२०२९

आदेश

इस सचिवालय के समसंख्यक आदेश दिनांक 09.12.2019 द्वारा तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती (लेवल-2) वर्ष-2018 में मूल परिणाम, रिशफल परिणाम तथा वैटिंग लिस्ट जारी करने के बाद रिक्त रहे पदों हेतु संशोधित वरीयता सूची जारी कराने तथा पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार (2013) की लम्बित नियमित नर्स भर्ती में भाजपा सरकार द्वारा कटौती किए गए नर्स ग्रेड-द्वितीय के 4514 पद एवं ए.एन.एम. के 6719 पदों को पुनः सृजित करते हुए भर्ती पूर्ण करने के संबंध में विभिन्न प्रतिनिधि मण्डलों की मांगों की सुनवाई एवं परीक्षण हेतु गठित मंत्रिमण्डलीय उप समिति का माननीय मुख्यमंत्री महोदय की अनुमति से निम्नानुसार पुनर्गठन किया जाता है:-

- |   |         |
|---|---------|
| 1. श्री बुलाकी दास कल्ला,<br>मंत्री, शिक्षा (प्राथमिक एवं माध्यमिक) विभाग               | अध्यक्ष |
| 2. श्री परसादी लाल,<br>मंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग                             | सदस्य   |
| 3. श्री गोविन्द राम मेघवाल,<br>मंत्री, आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग                    | सदस्य   |
| 4. श्रीमती जाहिदा खान,<br>राज्य मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (स्वतंत्र प्रभार) | सदस्य   |
| 5. डा. सुभाष गर्ग,<br>राज्य मंत्री, तकनीकी शिक्षा विभाग (स्वतंत्र प्रभार)               | सदस्य   |

उक्त समिति का प्रशासनिक विभाग, कार्मिक विभाग होगा तथा इसके सदस्य सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग होंगे।

राज्यपाल की आज्ञा से,  
  
(जितेन्द्र कुमार छोड्याय)  
शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख सचिव, राज्यपाल, राजस्थान।
2. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान।
3. सचिव (जी.जी.), मुख्यमंत्री, राजस्थान।
4. विशिष्ट सहायक, संबंधित मंत्रिगण / राज्य मंत्रिगण।
5. संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
6. प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग।
7. प्रोग्रामर, कम्प्यूटर सैल, सामान्य प्रशासन विभाग, राजस्थान।
8. रक्षित पत्रावली।

  
शासन सचिव